

2015/00182

फर्द अहकाम

न्यायालय राष्ट्रीय न्यायालय
श्री. नागराज बनाम भागीरथ

मुकदमा संख्या/वर्ष : 104/2022

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>पेश किया जा चुका है। अपील सं. 4 लग्न 7 ने आदिनांक तक जवाब प्रा.पत्र पेश नहीं किया है अतः अपील सं. 4 लग्न 7 का जवाब प्रा.पत्र कल दिया जाएगा। उपस्थित वकील पक्षकारों कि इमत्र अपील पत्र पर कल सूनी गई। पत्रावली बान्ने आदेश दिनांक 28/10/22 को पेश हो।</p> <p>21/10/22 अपील पेश हुई। P.O. सा. होने / अर्थात् कि के. में जबरन रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सके। पत्रावली दिनांक 22/11/22 को पेश हो।</p> <p>22/11/22 पत्रावली पेश हुई। वकील उत्तर पक्ष उपस्थित। वकील उत्तर पक्ष की पत्रावली अपील निकाशिका पर कल सूनी गई। पत्रावली को अवलोकित एवं वकील उत्तर पक्ष द्वारा उक्त अपील पत्र पर की गई कल पर अर्थात् कल एवं पत्रावली कि प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकित करते वे पत्रावली वाद प्रस्तुत</p>

फर्द अहकाम

तलिय सहायक कलेक्टर बरौली जिला बल्लिया

कदूनारायण बनाम भागीरथ

मा संख्या/वर्ष

104 / 2022

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>अपराधी र.नं. 123,169 कुल धिता 2 कुल धिता 19.08 की धा रंके र.नं. 142/186 र.नंका 14.15 की धा र.नं. 103 र.नंका 3.04 की धा र.नं. 53, 105, 136 कुल धिता 3 कुल धिता 1.14 की धा निधित प्राप्त इपाले पुडा तहसील कसरी धिता बल्लिया के सहायक में उपर पक्षों के वड के निर्णय तब धिता अस्थायी निर्णय धिता से पावड धिता धिता है कि वे उक्त वड प्राप्त धिता की वड के निर्णय तब सोके रंके धिता की पक्षा धिता संतोपे रंके तथा धिता के प्रतिनिधित अल्प धिता न करे। पक्षा फेरल धिता धिता वड तहसील मूल वड के सहायक धिता है</p>	